



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6041

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19325 वर्ष 2025

रामलखन

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार सिंह, राम श्याम शंकर पांडे, सुबोध पांडे
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम श्याम शंकर और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनुप कुमार की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2006 में दैनिक वेतनभोगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पहरेदार-पशु संरक्षक) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसका दावा है कि वह वरिष्ठ अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप बिना किसी रुकावट के लगातार काम कर रहा है, हालांकि, याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त नहीं किया गया है और न ही उसे इस वेतनमान का हकदार बनाया गया है। इस संबंध में उसने 20.02.2025 को संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन विभाग, मैनपुरी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जो भी प्रश्न उठेगा वह यह होगा कि क्या याचिकाकर्ता पहले से कार्यरत है और क्या वह इसके लिए पात्र है। इन प्रश्नों की जांच सर्वप्रथम तीसरे प्रतिवादी, संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन विभाग,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मैनपुरी द्वारा की जानी है। इसलिए, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

5. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्रस्ताव पर, तीसरे प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पात्रता और दावे की जांच करेंगे और दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेंगे, और यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या 12358 वर्ष 2019 (राम नरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), रिट याचिका संख्या 18119 वर्ष 2019 (राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 18693 वर्ष 2020 (मोहम्मद साहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 2844 वर्ष 2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के निर्णयों के आलोक में उक्त लाभों के हकदार हैं, तो उक्त लाभ याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार शीघ्रता से प्रदान किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश